न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 19/2018 जिला अलवर

1. कलुआ राम पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
2. तेजसिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
3. वीरसिंह पुत्र सम्पत (फौत)
3/1 बिरमा पत्नि स्व0 वीरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
3/2 केन्दपाल पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
4. अमरसिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुमित्रा पत्नि अशोक सिंह तथाकथित पुत्री पूरणसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर हाल निवासी ग्राम बरसो, तहसील भरतपुर जिला भरतपुर राज0।
2. मीरा पत्नि प्रदीसिंह तथाकथित पुत्री पूरणसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर हाल निवासी ग्राम बरसो, तहसील भरतपुर जिला भरतपुर राज0।

–रेस्पोंडेन्ट्स

3. संगीता पुत्री स्व0 वीरसिंह पत्नि अजयसिंह जाति जाट निवासी बकता का नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. मूर्ति पुत्री स्व0 वीरसिंह पत्नि विजय जाति जाट निवासी बकता का नगला तहसील नदबई जिला भरतपुर।

–प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर दिनांक 08.10.2013

उपस्थित–
1. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री गोपाल लाल बाना रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –31.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 08.10.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर के द्वारा खोले गये मृतक सम्पत की विरासत का इंतकाल संख्या 151 दिनांक 04.04.1994 वाके ग्राम रैला तहसील कठूमर जिला अलवर को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2013 को

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.1994 बाबत् इन्तकाल संख्या 151 को निरस्त कर पुनः मृतक सम्पत के विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 08.10.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट कलुआ राम पुत्र सम्पत जाति जाट वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 08.10.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही मृतक सम्पत की विरासत का इंतकाल संख्या 151 स्वीकार किया गया था। रेस्पोडेण्ट्स को भी भली भांति रूप से इसकी जानकारी थी फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर अपने आप को पूरणसिंह पुत्र सम्पत की पुत्रियॉ बताते हुये लगभग 18 साल बाद बदयांति से अपील पेश की गई। पूरणसिंह को कोई संतान नहीं थी एवं पूरणसिंह की मृत्यु उपरान्त उसकी पत्नी रामा ने अपीलांट कलुआराम से पुनः शादी कर ली जिनके नुत्फे से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 पैदा हुई हैं। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 कलुआराम की पुत्रियॉ हैं जो कि लगभग 25 साल पुरानी वोटरलिस्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी राशनकार्ड से स्पष्ट साबित होता है। पूरणसिंह की मृत्यु उपरान्त दोनों पुत्रियों का पालन–पोषण एवं विवाह अपीलांट कलुआराम द्वारा ही किया गया है। पूरणसिंह की मृत्यु पिता सम्पत के जीवनकाल में ही हो गया था अतः सम्पत की विरासत में पूरणसिंह को कानूनन कोई भी हक प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा विवादित आराजी को विवाह पश्चात् हडपने की नियत से अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व दस्तावेजात् की जॉच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, अलवर दिनांक 08.10.2013 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीया मृतक पूरणसिंह की पुत्रियॉ हैं तथा मृतक सम्पत की पौत्रियॉ हैं। प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास उनके पिता स्व0 श्री सम्पत के सामने ही हो गया था। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मृतक पूरन सिंह की विरासत में बराबर की अधिकारी है। अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय मृतक के वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की ना ही प्रार्थीयों को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिया तथा उस वक्त प्रार्थीया नाबालिक थी जिस कारण से इन्तकाल की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से नहीं थी। जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 के साथ अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.1994 बाबत् इन्तकाल संख्या 151 को निरस्त कर पुनः मृतक सम्पत के विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा तर्क उठाया है कि पूरणसिंह पुत्र सम्पत को कोई संतान नहीं थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 कलुआराम की पुत्रियॉ हैं इस कारण से सम्पत की विरासत में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को कानूनन कोई भी हक प्राप्त नहीं होता है। अपीलाण्ट ने न्यायालय के समक्ष इस तरह का कोई जायज दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीयॉ

Scanned by CamScanner

सुमित्रा व मीरा पूरणसिंह की पुत्रियॉ नहीं है। दूसरी तरफ रेस्पोडेण्ट का तर्क है कि प्रार्थीयॉ पूरणसिंह की पुत्रियॉ है और उन्हें इन्तकाल दर्ज करते समय सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जिस बावत् अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा दिनांक 08.10.2013 को अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.1994 बाबत् इन्तकाल संख्या 151 को निरस्त कर रिमाण्ड करने के ही आदेश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट अति0 तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष मय साक्ष्य व सबूत के साथ पेश कर चाराजोही कर सकते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 08.10.2013 उचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 08.10.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पारीश्वर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner